संख्या–1024 / 49–2–2010–26(11) / 10

प्रेषक,

प्रेम नारायण,
विशेष सचिव,
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष
सहकारी न्यायाधिकरण, उ0प्र0,
छठा तल, इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक :2 अगस्त, 2010

विषयः–अध्यक्ष / सदस्य सहकारी न्यायाधिकरण के पद पर कार्यरत अधिकारियों को सुविधाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त अध्यक्ष, एवं सदस्य सहकारी न्यायाधिकरण के पदों पर कार्यरत अधिकारियों को निम्नानुसार भत्ते / सुविधाऐं अनुमन्य किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– **अतिथि सत्कार भत्ता**

क्र0 सं0	अधिकारी का वेतनमान	मासिक भत्ता (रूपये में)
1	रू0 14300–400–18300	750
2	रू0 18400–500–22400	1000

2– **समाचार पत्र / पत्रिका**

अध्यक्ष, एवं सदस्य सहकारी न्यायाधिकरण के पदों पर कार्यरत अधिकारियों को एक क्षेत्रीय समाचार पत्र व पत्रिका (पत्रिका का मूल्य रूपये 50.00 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा) की सुविधा उपलब्ध होगी, जिस पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति मूल बाउचर के आधार पर की जायेगी।

3– **दूरभाष सुविधा**

अध्यक्ष, एवं सदस्य सहकारी न्यायाधिकरण के पदों पर कार्यरत अधिकारियों के आवास एवं कार्यालय में शासकीय व्यय पर दूरभाष की सुविधा उपलब्ध होगी। कार्यालय में सभी टेलीफोन एस0टी0डी0 युक्त होंगे परन्तु आवास पर टेलीफोन के साथ एस0टी0डी0 की सुविधा केवल वेतनमान रू0 16400–20000, रू0 18400–22000 तथा रू0 22400–25500 के अधिकारियों को ही अनुमन्य होगी। इसके अतिरिक्त निम्न सीमाओं के अनुसार निःशुल्क काल की सुविधा भी अनुमन्य होगी:–

क्रमांक	अधिकारी का वेतनमान	दो माह के लिए निःशुल्क काल की सुविधा	
		कार्यालय	आवास
1	रू0 14300–18300 के अधिकारी	2000	1000
2	रू0 18400–22400 के अधिकारी	3000	2000

4– **आवास पर विद्युत एवं जल शुल्क प्रतिपूर्ति**

अध्यक्ष, एवं सदस्य सहकारी न्यायाधिकरण के पदों पर कार्यरत प्रत्येक अधिकारी के आवास पर उनके द्वारा विद्युत एवं जल के उपयोग के सम्बन्ध में किए गए भुगतान के 50 प्रतिशत के बराबर परन्तु रू0 500.00 प्रतिमाह की संयुक्त सीमा तक प्रतिपूर्ति भुगतान किए गए बिलों को मूल रूप में प्रस्तुत करने पर देय होगी ।

5– **चिकित्सा प्रतिपूर्ति/चिकित्सा भत्ता**

अध्यक्ष, एवं सदस्य सहकारी न्यायाधिकरण के पदों पर कार्यरत ऐसे अधिकारियों एवं परिवार के सदस्यों की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य है । इसके अतिरिक्त उक्त पदों पर कार्यरत अधिकारियों की प्रतिमाह रूपए 100.00 (रू0 एक सौ मात्र) का चिकित्सा भत्ता भी अनुमन्य होगा ।

भवदीय,

(प्रेम नारायण)
विशेष सचिव।

संख्या–1024(1)/49–2–2010–तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0, लखनऊ।
3– ——— सदस्य, उ0प्र0 उ0प्र0 सहकारी न्यायाधिकरण, लखनऊ।
4– निजी सचिव, मा0 सहकारिता मंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
5– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
7– वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग–1/2
8– वित्त (सामान्य) अनुभाग–3/कार्मिक अनुभाग–1
9– कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ।
10– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(हरनाम)
अनु सचिव।